तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकुला

सार्वजनिक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त नहीं होने के संबन्ध में

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए हर-छात्रवृति (Har - Chhatravratti) पोर्टल पर आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों के छात्रवृति आवेदन कुछ कारणों (दस्तावेजों की कमी या बैंक खाता की आधार सीडिंग न होना इत्यादि) की वजह से हर छात्रवृति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से छात्र व संस्थान के लेवल पर वापिस भेज दिए गए थे, जोकि अभी तक लम्बित है। इन छात्रों को समय-समय पर दस्तावेजों की कमी को दूर करने हेतू सूचित किया जाता रहा है। इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनको अपने दस्तावेजों में कमी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक अंतिम अवसर 30.05.2025 तक प्रदान किया जा रहा है। अतः ऐसे सभी छात्र अपने संस्थान से सम्पर्क करके अपने दस्तावेजों की कमी को 30.05.2025 से पहले दूर कर लें तथा अपने एपलीकेशन फार्म को अपने संस्थान से हर-छात्रवृति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई करवाने उपरान्त सम्बंधित प्रोसेसिंग सेंटर को भेजें।

यह भी सूचित किया जाता है कि 30.05.2025 के बाद शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के वे सभी आवेदन जो छात्र व संस्थान के लेवल पर लम्बित रह जाएंगे, उनको हर-छात्रवृति (Har-Chhatravratti) पोर्टल द्वारा स्वतः ही रद् कर दिया जाएगा तथा इस प्रकार के किसी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोटः- यह सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के छात्रों (इंजीनियरिंग / फॉर्मेसी / आर्किटेक्चर व अन्य सभी तकनीकी कोर्स आदि) के लिए है ।

कृतेः
महानिदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकुला

PRDH-1115/11/399/2026/34114/67/6

Scanned with OKEN Scanner